

दिनांक	आज्ञा पत्र
28/9/24	पत्रावली पेशा वकील उम 44 का 08.11.2022 को दूरे रफि को लिख पेशा उम 44 का 08.11.2022 को पत्रावली वकील उम 44 का 08.11.2022 को पेशा उम 44 का 08.11.2022 को
7.10.24	पत्रावली पेशा। प्रकरण में रसपोर्ट की तामील शप ह इस हेतु अपीलान्त शेष रसपोर्ट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलवी रिकार्ड दिनांक 11.11.24 का पेश हों।
11.11.24	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रसपोर्ट उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 11.11.24 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 12.11.24 को पेश हो।
12.11.24	पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रसपोर्ट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रसपोर्ट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तुरन्त तामील दाखिल दफतर् हो।



प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)